कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उपाध्यक्ष, आगरा मण्डल व्यापार संगठन, न्यू सीताराम मार्केट, बेलन गंज, आगरा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**62 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री चरन जीत थापर, उपाध्यक्ष।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-62 / 11, दिनांक 24.06.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **10 हार्स पावर तक के डीजल इंजन पम्प सेट व इनके पार्ट्स** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री चरन जीत थापर, उपाध्यक्ष उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि वह डीजल इंजन पम्प सेट के पार्ट्स पर करदेयता जानना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सर्वश्री आगरा मशीनरी व्यापार समिति, गुदड़ी मंसूर खॉं, आगरा (प्रार्थना-पत्र संख्या-32 / 11) के वाद में दिनांक 25.05.11 को कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश उनके द्वारा उठाये जा रहे प्रश्न से भिन्न है तथा उक्त आदेश उनके मामले में प्रभावी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि वह 10 हार्स पावर से कम के डीजल इंजन पम्प सेट के पार्ट्स पर करदेयता जानना चाहते हैं न कि डीजल इंजन व उसके पार्टस पर करदेयता जानना चाहते हैं। यह भी अवगत कराया कि डीजल इंजन का बोर साइज बढ़ाने से हार्स पावर बढ़ती जाती है तथा 10 हार्स पावर इंजन पम्प सेट पर 102 mm से अधिक का पार्ट्स नहीं लग सकता। यह भी अवगत कराया कि जितने अधिक हार्स पावर का डीजल इंजन पम्प सेट होगा उतने ही ज्यादा बोर साइज की आवश्यकता होगी। उनके द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-28 के अन्तर्गत diesel engine pumps sets upto 10 Horse Power तथा parts thereof के पश्चात जो 7 आइटम अंकित किये गये हैं वह डीजल इंजन पम्प सेट के पार्ट्स न होकर डीजल इंजन पम्प सेट के एसेसरीज हैं। शासन द्वारा जारी अनुसूची में 10 हार्स पावर से अधिक के डीजल इंजन पम्प सेट व उनके पार्ट्स के अतिरिक्त 7 एसेसरीज को भी उक्त अनुसूची में अधिसूचित किया गया है। अत: उनके विचार से डीजल इंजन पम्प सेट के पार्ट्स पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए। अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कमिश्नर सेल्स टैक्स यू.पी. बनाम सर्वश्री मदन सन्स के निर्णय दिनांक 16.08.1978 में " INCLUDING " शब्द की व्याख्या की गयी है जिसके अनुसार INCLUDING indicates that the various items specified after the word " including" do not exhaust the category of items.

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-28 निम्नवत है :-

......2

28	Centrifugal pumps, monoblock pumps, submersible pumps, **diesel engine pumps sets upto 10 Horse Power and parts thereof** including hose-collar, hose sockets, hose connector, hose click, hose nipple, foot valve and delta starter for water handling.

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन के पत्रांक-1432, दिनांक 20.07.11, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, आगरा सम्भाग-ए के पत्र संख्या-1065, दिनांक 16.07.11 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-4, आगरा के पत्र संख्या-मीमो, दिनांक 15.07.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार वाटर हैण्डलिंग में प्रयोग होने वाले 10 हार्स पावर तक के डीजल इंजन पम्प सेट्स एवं उनके पार्ट्स पर कर की देयता 4% होगी। अतिरिक्त कर अलग देय होगा। अन्य प्रकार के डीजल इंजन पम्प सेट व पार्ट्स की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनूसची-V के अन्तर्गत 12.5% की दर से कर देय होगा।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रस्तुत स्पष्टीकरण, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा की आख्या एवं अन्य अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन संख्या-क0 नि0-2-421 / XI-9 (1) / 08-U.P. Act-5-2008-orde (71)-2011, दिनांक 31.03.2011 द्वारा 10 हार्स पावर तक के डीजल इंजन पम्प सेट्स व इनके पार्ट्स को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनूसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-28 के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। अतः दिनांक 31.03.2011 के पश्चात् **10 हार्स पावर तक के डीजल इंजन पम्प सेट व इनके पार्ट्स** पर 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है। माननीय न्यायालय वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ के आदेश दिनांक 10.10.11 द्वारा समर्थित कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री आगरा मशीनरी व्यापार समिति, गुदड़ी मंसूर खाँ, आगरा (प्रार्थना-पत्र संख्या-32 / 11) के मामले में दिनांक 25.05.2011 को पारित आदेश प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 15 नवम्बर, 2011 ह0 / 15.11.11

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।